SDO

प्रा०पत्र प्र.सं. 436/2022 Online No. 2022/613

शंकर व अन्य / अम्बा लाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
12/4/23	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त [illegible] में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/4/23 को पेश हो। दिनांक...... आदेश से रीडर	
18/4/23	पत्रावली पेश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हडताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी ~~प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 महंगाई राहत कैम्प~~ 2023 [illegible] में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/5/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
30/5/23 (अनुपस्थित)	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील के आज दिन के पुकार पर अनुपस्थित विपक्षीगण को बार-बार आवाजे लगाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR एक्ट का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया गया, वह हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय उपखण्ड है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/2023 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
436 / 2022	10.11.2022	30.05.2023

अनवान

1. शंकर पुत्र श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क
2. बद्री पुत्र श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क
3. श्रीमती हगामी बाई पत्नी श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क
4. श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाट उम्र वयस्क
   निवासीगण दांताजति तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बा लाल पुत्र गणेश जाट उम्र वयस्क निवासी दांताजति तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. भंवर लाल पुत्र गणेश जाट उम्र वयस्क निवासी दांताजति तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. सुशील पुत्र रामेश्वर जाट उम्र वयस्क निवासी हरणी तहसील व एवं जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती प्रेम पुत्री श्री कल्याण पत्नी श्री सोहन जाट उम्र वयस्क निवासी भोली तहसील व एवं जिला भीलवाड़ा
5. भागू पुत्र रामेश्वर भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी दांताजत्ति तहसील व एवं जिला भीलवाड़ा
6. सीताराम पुत्र श्री महावरी प्रसाद सोनी उम्र वयस्क निवासी जूनावास, तहसील व एवं जिला भीलवाड़ा
7. श्रीमती मीना पत्नी सीताराम सोनी उम्र वयस्क निवासी जूनावास, तहसील व एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री भानूप्रताप कोली– प्रार्थीगण
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मौजा ग्राम दांताजति पटवार हल्का मण्डपिया भू.अभि.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 95 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 158 रकबा 0.2719 है0, खाता संख्या 97 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 157/2 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 61/1 रकबा 0.2529 है0, आराजी सं. 61/3 रकबा 0.3920 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7208 है0, खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 128/1 रकबा 0.2023 है0, आराजी सं. 129/1 रकबा 0.1391 है0, आराजी सं. 131 रकबा 0.2403 है0 कुल किता 03 रकबा 0.5817 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी हक अधिकार की स्थित है। विपक्षी सं. 01 लगायत 07 प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ौसी हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड पाली की घास काटने आदि में प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिह्न स्थापित किया जावे।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दांताजति पटवार हल्का मण्डपिया भू.अभि.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 95 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 158 रकबा 0.2719 है0, खाता संख्या 97 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 157/2 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 61/1 रकबा 0.2529 है0, आराजी सं. 61/3 रकबा 0.3920 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7208 है0, खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 128/1 रकबा 0.2023 है0, आराजी सं. 129/1 रकबा 0.1391 है0, आराजी सं. 131 रकबा 0.2403 है0 कुल किता 03 रकबा 0.5817 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/—रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.2023

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा